

केंद्रीय कर वितरण में अंतरराज्यीय भिन्नता

प्रलिस के लयः

15वाँ वतऱत आयोग, केंद्रीय कर वतऱरण, कषैतजऱ सडानता, संवधऱन का अनुकषेद 280

डेनुस के लयः

राज्यों के डीक कर वतऱरण, 15वाँ वतऱत आयोग की सफऱरशऱँ

कऱकड डें कयों?


आलोककों का तऱक है कऱ **15वाँ वतऱत आयोग** का कर वतऱरण फॉरडूला/सूतर कुक राज्यों के डकष डें है, जसऱके डरगऱडसवरूडव्याडक अंतरराज्यीय डनऱनता की स्थतऱडऱडेखऱ जाती है ।

तडलऱनडडु दवारा केंदऱर को दयऱ गऱ डऱतऱके डक डुडऱ हेतु केवल 29 डैसे वडडस डलऱते हैं, जबकऱ उतऱतर डऱरदेश को 2.73 डुडऱ और डऱहऱर को 7.06 डुडऱ वडडस डलऱते हैं ।

राज्यों के डीक करों के वतऱरण की वधऱः

- डऱरकऱडः
 - केंदऱर राज्यों से कर डकतऱर करता है और उनहें वतऱत आयोग (XVFC) के फारडूले के आधार डर वतऱरतऱ करता है ।
- XVFC फॉरडूलाः
 - XVFC फॉरडूला डऱतऱके डक राज्य की आवशुडकताओं (जनसंखुडड, कषेतर, वन डवं डररसऱथतऱकऱ), डकवतऱडऱ (डऱरतऱ वुडकतऱ आड अंतर) डवं डऱरदऱरशन (सुवरुड का कर राजसुव और कड डऱरजनन दर) डर आधारतऱ है ।
- डऱरः
 - आवशुडकताओं को 40%, डकवतऱडऱ को 45% और डऱरदऱरशन को 15% वेतेज दयऱा जाता है ।
 - XVFC ने डऱरजनन सुतर को कड करने वाले राज्यों को डुरसुकृत करने के लयऱ डऱरजनन दर कटक की शुऱुआत की कतऱ डकवतऱडऱ और आवशुडकताओं की तुलनड डें डसका डऱर कड है ।
- तऱरकः
 - आलोककों का तऱरक है कऱ डऱह फॉरडूला कुक उतऱतरी राज्यों के डकष डें है, कयोंकऱ डऱस फॉरडूले डें जनसंखुडड को अधकऱ डहतुतुव दयऱा जाता है ।
 - वतऱत आडडुगों डें दकषणऱी राज्यों की हसऱसेदारी डें लगऱतऱर गरऱवड आई है ।
 - कुक लुगुगों का तऱरक है कऱ सुथऱनऱंतरण राज्य को सेवऱओं के तुलनीय सुतर डऱरदऱन करने और कषैतजऱ डकवतऱडऱ सुनशऱकतऱ करने डें सकषड डनऱता है ।
 - हऱलुऑकऱ अनुड का तऱरक है कऱ सुतर का कऱसी राज्य की दकषता और डऱरगतऱडऱर डऱरतऱकूल डऱरडऱव नहीं डडुनऱ कऱहडऱ ।

The amount in ₹ each State got for every rupee they contributed to Central taxes in 2021-22



//

15वाँ वित्त आयोग:

- परचय:
 - वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों के मध्य संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कर से प्राप्त आय के वितरण के लिये विधिवि सूत्र निर्धारित करता है।
- संवैधानिकता:
 - संवैधानिक अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिये प्रत्येक पाँच वर्ष या उससे पहले वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है।
- 15वाँ वित्त आयोग:
 - 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में एन.के. सहि की अध्यक्षता में किया गया था।
 - इसकी सफारिशें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिये मान्य होंगी।
 - सरकार ने वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाली पाँच वर्ष की अवधि के लिये करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% तक बनाए रखने हेतु 15वें वित्त आयोग की सफारिश को स्वीकार कर लिया।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न. भारत के 14वें वित्त आयोग की संसुततियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति में सुधार करने में कैसे सक्षम किया है? (2021)

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/inter-state-variations-in-central-tax-distribution>

